न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2023/236
मुकदमा नम्बर 48/2023

दर्ज दिनांक–19.05.2023

मगनसिंह पुत्र भोलू सिंह जाति दरोगा निवासी राजकीय स्कूल भवन के सामने , ग्राम पोस्ट बलरिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुंनू

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

वकील आवेदक : – श्री नरेन्द्र सिह शेखावत
अनावेदक – पैरो. राज

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 07.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम बलरिया पटवार हल्का पबाना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 556 रकबा 0.51 है0, खसरा नं. 791/555 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 792/554 रकबा 0..02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 है0 जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है की सीमाओं पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण मे तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा अपने प्रा0 पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11/05/2023 पत्थरगढी करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया।

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान दिनांक 11/05/2023 का अवलोकन करने से यह जाहिर है कि, सीमाज्ञान नक्शा सर्वे शीट 1979–80 से किया गया है। बिन्दू सं. ए से बी की दूरी मौके पर 207 मीटर बन रही है जबकी शीट के अनुसार 210 मीटर बनती है। बिन्दू सं. सी से डी दूरी मौके पर 12 मीटर है , जबकि नक्शा शीट के अनुसार 8 मीटर बनती है।

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11/05/2023 स्वीकार किया जाकर,पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

Scanned with CamScanner